


27.6.16

पञ्जावली आज लोक अदालत / डिम्प कोर्ट अदालत  
सेवा सेन्टर डम्मेदनगर में पेश हुई।

पञ्जावली का अवलोकन विभागों।  
पञ्जावली पर अज्ञातों का जवाब सापण है  
शर्ही के जर्ना पत्र और अशर्ही के जवाब  
का अध्ययन - अवलोकन किया गया। दावा  
स्थायी निषेधाज्ञा व तस्मीम दुरस्ती से सम्बन्धित  
है ऐसी स्थिति में मोके पर बुकजे को  
लेबर तनाजा है। दोरने वाद अतर्कम निषेधाज्ञा  
को जारी रखा जाना यह न्यायालय उचित  
मानता है।

अतः शर्ही का जर्ना पत्र को  
स्वीकार किया गया है। तथा राफ डम्मेदनगर  
के रफसरा नम्बर 109 109 की धा वूमि पर  
स्थायी निषेधाज्ञा से  $4$   $2$  कडर पाबन्द किया  
जाता है कि अशर्ही से। त. छेवला निस्तारण तब  
वेचान एवं हस्तारण नहीं करे। मोके की यथा  
स्थिति बनाये रखे।

पञ्जावली फैसल शुभार होक 6 नम्बरते  
कम की जाकर शूल वाद के साथ गश्ती हो।

  
(चंचल विमा)  
अपराधी अधिकारी  
सहायक कलेक्टर व  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

